

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला पंचायत कार्यालय)

पत्रांक...../पं०

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक...../...../2015

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2016 की तैयारी के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या को आयोग द्वारा जॉचोपरान्त त्रुटिरहित ऑकड़ों का प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग : उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक-1375, दिनांक-22.07.2015
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडों में दिनांक-03.08.2015 को पंचायत आम निर्वाचन, 2016 की तैयारी के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या (आयोग द्वारा जॉचोपरान्त त्रुटिरहित ऑकड़ों) का प्रकाशन प्रपत्र-1 में किया जाना है तथा दिनांक-17.08.2015 को प्रपत्र-1 की जनसंख्या को जिला गजट में प्रकाशन किया जाना है।

अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-01.08.2015 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेशम में 11:30 पूर्वाह्न में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

अनुलग्नक : आयोग का पत्रांक-1375, दिनांक-22.07.2015 की
की छायाप्रति एक पृष्ठ में।

विश्वासभाजन




जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...../...../पं०, दिनांक...../...../2015 ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।



जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा।



40392




राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

वरिय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा 40392 (राजधानी)
पंचायत निर्वाचन-2016

महत्वपूर्ण
समयबद्ध

पत्र सं. प0नि0 30-31/2013- 1375

पटना, दिनांक- 22 जुलाई, 2015



प्रेषक, 2015

मिथिलेश कुमार साहु, (बि.प्र.से.)
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
बिहार।

विषय:-

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 की तैयारी के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या को आयोग द्वारा
जाँचोपरान्त त्रुटिरहित आँकड़ों का प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग -

आयोग का पत्रांक-815, दिनांक-08.04.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आयोग द्वारा दिये गये निदेश के
आलोक में आपके जिलों द्वारा पूर्व में गठित किये गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को
प्रपत्र-1 में प्रकाशित किया गया था। आपत्ति प्राप्त होने के उपरान्त आपत्ति निष्पादन किये जाने की भी
सूचना आयोग को दी गई। आयोग स्तर पर प्रपत्र-1 में प्रकाशित जनसंख्या की जाँच की गई। जाँच के क्रम
में जिलों से प्राप्त प्रपत्र-1 में अनेक त्रुटियाँ पाई गई जिसका निराकरण आयोग द्वारा दिये गये निदेश के
आलोक में जिला से प्रतिनियुक्त जिला पंचायत राज पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया और
प्रपत्र-1 को आयोग स्तर से अनुमोदित किया गया। निम्न समय-सारणी के अनुसार सभी पदों के लिए
अलग-अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमोदित प्रपत्र-1 का प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आयोग से अनुमोदित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन	03.08.2015
(ख) प्रपत्र-1 का जिला गजट का प्रकाशन	17.08.2015


403
24/7/15

अतः अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई उपर्युक्त समय-सारणी के अनुसार सम्पन्न कराकर प्रपत्र- 1 का जिला गजट की एक प्रति विशेष दूत के माध्यम से दिनांक-21.08.2015 तक निश्चित रूप से आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन



उप सचिव।

13